इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1984

14 मार्च, 2013 को उत्तर के लिए

विदेश में खानों का अर्जन

1984. श्री एस. थंगावेलु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्य सरकार ने देश के इस्पात विनिर्माताओं से उत्पादन तथा बिक्री बढ़ाने हेतु विदेश में खानों के अर्जन के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कंपनियां ब्राजील में लौह अयस्क आस्तियों के अर्जन हेतु विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) और (ख): इस्पात क्षेत्र नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में कोयला कंपनियों, खानों और परिसंपत्तियों/ब्लाकों के अधिग्रहण के प्रयोजन से भारत सरकार ने इंटीग्रेटिड कोल वैंचर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (आईसीवीएल) नामक एक स्पेशल परपज व्हीकल (एसपीवी) की स्थापना की है।

(ग) और (घ): भारतीय और ब्राजील की कंपनियों द्वारा लोहे और इस्पात संबंधी कारोबार के क्षेत्र में निवेश अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय तथा संघीय ब्राजील गणतंत्र के खान और ऊर्जा मंत्रालय के बीच फरवरी, 2013 में एक आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

****